इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 मार्च 2013—चैत्र 2, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. एफ-19-1-2013-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 2 में,—

(1) खण्ड (बारह) में शब्द "संयुक्त संचालक" के पश्चात् , शब्द "अधीक्षण भौमिकीविद्" अन्तःस्थापित किए जाएं.

(2) खण्ड (उनतीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

(तीस) "पर्यावरण" और "पर्यावरण संबंधी प्रदूषण" के वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में क्रमशः उनके लिये दिए गए हैं;

(इकतीस) "जिला स्तरीय पर्यावरण समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित समिति;

(बत्तीस) "पर्यावरण प्रबंधन योजना" से अभिप्रेत है उत्खनन पट्टा/व्यापारिक खदानधारी द्वारा प्रस्तुत की गई योजना जो इन नियमों के अधीन किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार की गई हो और जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा अनुमोदित की गई हो;

(तैंतीस) "खान को अंतिम रूप से बंद करने की योजना" से अभिप्रेत है खनन और खनिज प्रसंस्करण संक्रियाएं बंद होने के पश्चात् , खान अथवा उसके किसी भाग को बंद करने, उसमें सुधार करने तथा उसके पुन:स्थापन करने के प्रयोजन के लिये कोई योजना जो इन नियमों के अधीन तैयार की गई हो;

(चौंतीस) "वित्तीय प्रत्याभूति" से अभिप्रेत है पट्टाधारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियां जिससे कि सुधार और पुन:स्थापन की लागत की प्राधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सके.

(पैंतीस) "खान का बंद किया जाना" से अभिप्रेत है किसी खान या उसके किसी भाग में खनन अथवा प्रसंस्करण संक्रियाएं बंद करने के साथ ही प्रारंभ होने वाली किसी खान या उसके किसी भाग के संबंध में सुधार पुन:स्थापना के लिए उठाए गए कदम;

(छत्तीस) "खनन योजना " से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन तैयार की गई खनन योजना;

(सैंतीस) "खनन स्कीम" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन तैयार की गई खनन स्कीम;

(अड़तीस) "खान बंद करने की क्रमिक योजना" से अभिप्रेत है किसी खान या उसके किसी भाग में सुरक्षा, सुधार, पुन:स्थापन करने के प्रयोजन के लिए कोई क्रमिक योजना जो इन नियमों के अधीन तैयार की गई हो;

(उन्तालीस) "पूर्वेक्षण" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहां खनिजों के लिये पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जा रही हों और उसमें पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित कोई क्षेत्र सम्मिलित है;

(चालीस) "मान्यता प्राप्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे खनन योजना, खनन स्कीम, पूर्वेक्षण रिपोर्ट तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;

(इकतालीस) "भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण" से अभिप्रेत है, खनिज भंडार की उपलब्धता के लिए किया जा रहा भू-वैज्ञानिक अध्ययन;

(बयालीस) "क्षेत्रीय प्रमुख" से अभिप्रेत है, विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश का कोई अधिकारी;

(तैतलीस) "उड़नदस्ते का प्रभारी अधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश का कोई ऐसा अधिकारी जो खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने का प्रभारी हो;

(चवालीस) "नायब तहसीलदार और तहसीलदार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 11 के अनुसार तहसीलदार या नायब तहसीलदार के रूप में विनिर्दिष्ट राजस्व अधिकारी;

2. नियम 3 में,—

(क) खण्ड (एक) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु कोई उत्खनन किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राज मार्ग, रेल लाईन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क, नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जाएगा .".

(ख) खण्ड (दो) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु कोई भी उत्खनन किसी पुल, राष्ट्रीय/ राज्य राज मार्ग, रेल लाईन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क, नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जाएगा.".

(ग) खण्ड (तीन) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक क्रमश: स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

"परन्तु कोई भी उत्खनन किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राज मार्ग, रेल लाईन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क, नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस नियम के उपबंध किसान द्वारा कृषि के लिये तथा ग्राम पंचायत/सरकारी एजेंसियों द्वारा सामुदायिक विकास कार्य के लिए किसी जलाशय, नहर, स्टॉप डेम, अथवा जल रोकने वाली कोई संरचना या अन्य निर्माण से उत्खनन की गई साधारण मिट्टी के उपयोग और परिवहान किए जाने पर लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह भी कि इस नियम के उपबंध केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों तथा उनके उपक्रम द्वारा निर्माण स्थल से व्यावसायिक प्रयोजन को छोड़कर निर्माण कार्य किए जाने के लिए साधारण मिट्टी के उत्खनन पर लागू नहीं होंगे.";

3. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"3 (क) नियम 3 के खण्ड (एक) और (दो) के अधीन छूट प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति/संस्था को संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा. इस प्रमाणीकरण में उत्खनन क्षेत्र की अवस्थिति, खनिज की मात्रा तथा खनन की कालावधि का लेख किया जाएगा. इस प्रकार प्रमाणीकरण किए जाने के पश्चात्, खनिज शाखा का प्रभारी अधिकारी रायल्टी का भुगतान किए बिना अभिवहन पास जारी करेगा. खनिजों का परिवहन वैध अभिवहन पास द्वारा किया जाएगा. संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय में विस्तृत जानकारी पृथक् से रखेगा.";

4. नियम 4 में,—

(1) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "व्यापारिक खदान" के पश्चात् शब्द "या खदान अनुज्ञा" अन्त:स्थापित किए जाएं;

(2) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 14-9-2006 के उल्लंघन में कोई उत्खनन पट्टा और व्यापारिक खदान या खदान अनुज्ञा स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं की जाएगी;

(3) कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, यदि उसका प्रस्तावित उत्पादन स्तर, भू-वैज्ञानिक अथवा भौगोलिक स्थितियों के आधार पर समाधान हो जाता है तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, कम से कम एक हैक्टर तथा पचास हैक्टर तक का उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा. उस दशा में जहां कि खनन का क्षेत्र एक हैक्टर से कम है तथा 200 मीटर की परिधि में अलग-अलग स्थित है, तो इन क्षेत्रों का एक समूह बनाकर, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उस सीमा तक उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा जिससे कि उत्खनन के लिये न्यूनतम एक हैक्टर का क्षेत्र उपलब्ध हो सके किन्तु उत्खनन पट्टे के नवीकरण की दशा में, उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने के लिये न्यूनतम क्षेत्र के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे:

परन्तु अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए ग्रेनाइट कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट रूल्स, 1999 तथा मार्बल डवलपमेंट एण्ड कन्जर्वेशन रूल्स, 2002 के उपबंध लागू होंगे.";

5. नियम 5 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ग) संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केन्द्र, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान से 300 मीटर की दूरी के भीतर, किसी पुल, राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्ग, रेल लाईन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि से 100 मीटर की दूरी के भीतर, अन्य पक्की सड़क से 50 मीटर अथवा ग्रामीण कच्चा रास्ता से 10 मीटर की दूरी के भीतर ;

(घ) खनिज, रेत या बजरी के सिवाय, नदी के किनारों, जलाशयों, नहर, बांध, कोई प्राकृतिक जलमार्ग या जल रोकने वाली संरचना से 100 मीटर की दूरी के भीतर तथा नाले से 50 मीटर की दूरी के भीतर ;";

6. अध्याय तीन के शीर्षक में, शब्द "उत्खनन पट्टा या व्यापारिक खदान प्रदान करने संबंधी शक्तियां" के स्थान पर, शब्द "पूर्वेक्षण अनुज्ञा, उत्खनन पट्टा या व्यापारिक खदान प्रदान करने संबंधी शक्तियां" स्थापित किए जाएं,;

7. अध्याय तीन में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"6 उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति,—अनुसूची-एक और दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टा सारणी के कालम (2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा, कालम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उसके कालम (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रदान किया जाएगा तथा उसका नवीकरण किया जाएगा:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	खनिज (3)	शक्तियों की सीमा (4)
1.	संचालक	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 7 तक में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक) जहां आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक हो.
		(दो) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो) जहां आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक हो.
2.	कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ आई.ए.एस. वेतनमान).	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक) जहां आवेदित क्षेत्र 10.00 हैक्टर से अधिक न हो.
		(दो) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 से 7 तक में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो) जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक किंतु 10.00 हैक्टर से अधिक न हो.
		(तीन) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टों/भट्टों में ईंटें और कवेलू (टाइल्स बनाने के लिए साधारण मिट्टी.	(तीन) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक हो.
		(चार) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(चार) जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक हो किन्तु 10.00 हैक्टर से अधिक न हो.
		(पांच) अनुसूची 2 के अनुक्रमांक 5 से 12 तक में विनिर्दिष्ट खनिज.	(पांच) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक हो.
3.	प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा.	(एक) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 से 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक) जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से अधिक न हो.
		(दो) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टों/भट्टों में ईंटें और कवेलू (टाइल्स) बनाने के लिए साधारण मिट्टी.	(दो) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(तीन) अनुसूची दो के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन) जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हैक्टर से से अधिक न हो.
		(चार) अनुसूची 2 के अनुक्रमांक 5 से 12 तक में विनिर्दिष्ट खनिज.	(चार) जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टर से अधिक न हो.

टिप्पणी.—अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूर की जाएगी जिसे इन खनिजों का उत्खनन पट्टा मंजूर करने की शक्ति हो";

8. नियम 7 में,—

(1) उपनियम (1) में, शब्द और अंक "अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4" के स्थान पर, शब्द और अंक "अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 तथा 3" स्थापित किए जाएं;

(2) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : —

"(2) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 तथा 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों की खदानों को पांच वर्ष के लिए नीलाम किया जाएगा:

परन्तु यदि ठेकेदार, अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 और अनुसूची दो के अनुक्रमांक 3 में क्रमश: विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये 01 वर्ष के भीतर कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग या यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण के लिये क्रशर स्थापित करता है तो ठेके की अवधि 5 वर्ष के बजाय 10 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी और इस दशा में वार्षिक ठेका धन प्रथम वर्ष को छोड़कर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ जाएगा. बढ़ाई गई अवधि के लिए ठेकेदार यथास्थिति, अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना अथवा पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा. ठेकेदार, क्रशर स्थापित करते समय गिट्टी और खनिज का पृथक लेखा संधारित करेगा.

(3) उप नियम (4) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए अर्थात् :—

"परन्तु जहां दो लगातार नीलामियों में लगाई गई बोली कलक्टर द्वारा नियत सरकारी बोली से कम हो तो कलक्टर/अपर कलक्टर क्षेत्र की जांच करने के पश्चात, सरकारी बोली को पुनरीक्षित करेंगे. पुनरीक्षित सरकारी बोली उस खनिज के लिये अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनिवार्य भाटक से कम नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी अवधि में कोई घोषित व्यापारिक खदान की नीलामी नहीं की जा सकी हो तो सरकारी कार्य के लिए उस खदान से नियम 68 के उप नियम (1) के अधीन उत्खनन अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी.";

9. नियम 8 में, शब्द और अंक "अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 के स्थान पर" शब्द और अंक "अनुसूची 2 के अनुक्रमांक 1 तथा " स्थापित किए जाएं.

10. अध्याय तीन में, नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय—तीन क

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना

(क) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन.**—अनुसूची एक के अनुक्रमांक 01, 02, 03 में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवेदन प्ररूप-बाईस-क में दिया जाएगा. आवेदन पत्र पर पांच रुपये मूल्य का न्याय शुल्क स्टाम्प चिपकाया जाएगा और उसमें वे सब दस्तावेज अन्तर्विष्ट होंगे जो आवेदन के प्ररूप में विहित किए गए हों.

(ख) **आवेदन फीस.**—पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के प्रत्येक आवेदन के संबंध में 5000 (रुपये पांच हजार) का भुगतान किया जाएगा और वह नियम 10 के उप नियम (3) में यथा विहित शीर्ष में जमा की जाएगी.

(ग) **आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी.**—पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे जो नियम 11 में विहित किए गए हों.

(घ) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन की अभिस्वीकृति.**—पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन की अभिस्वीकृति देने की प्रक्रिया नियम 14 के अनुसार होगी और अभिस्वीकृति प्ररूप तेईस-क में जारी की जाएगी.

(ङ) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन का रजिस्टर.**—पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए रजिस्टर क्रमशः प्ररूप-पच्चीस और प्ररूप-छब्बीस में पृथक्-पृथक् संधारित किए जाएंगे.

(च) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये अवधि.**—अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट खनिजों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये अवधि ग्रेनाइट कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट रूल, 1999 और मार्बल डवलपमेंट एण्ड कन्जर्वेशन रूल, 2002 में विहित किए गए अनुसार होगी.

(छ) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन का निपटारा.**—पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उसका विवरण सर्वप्रथम जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और संबंधित जिला कार्यालय कलक्टरेट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने के लिये परिचालित किया जाएगा. मंजूरी प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे और नियम 21 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों पर विचार करने के पश्चात् पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये दिए गए आवेदन को निरस्त करने की प्रक्रिया नियम 19 के उपबंधों के अनुसार होगी.

(ज) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये विलेख का निष्पादन.**—पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का विलेख मंजूरी आदेश की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर प्ररूप-सत्ताईस में निष्पादित किया जाएगा. यदि उपरोक्त कालावधि के भीतर ऐसा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहृत हो गया समझा जाएगा:

परन्तु जहां मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विलेख के निष्पादन में हुए विलंब के लिए आवेदक उत्तरदायी नहीं है तो मंजूरी प्राधिकारी एक मास की उपरोक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी करार के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा.

(झ) **अन्य गौण खनिजों के लिए प्रावधान.**—अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1, 2, 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़ते हुए अन्य गौण खनिजों के उत्खनन पट्टे के लिए आवेदनों का निपटारा, संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर खनिज की उपलब्धता, मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा.

(ञ) **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तें.**—इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगी, अर्थात्:—

(एक) अनुज्ञप्तिधारी, अपने साथ अनुज्ञप्त क्षेत्र से, वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए मंजूर गौण खनिज की 10 घन मीटर तक की मात्रा किसी भी प्रकार के विश्लेषण और वाणिज्यिक सर्वेक्षण के लिए रॉयल्टी का भुगतान करके ले जा सकेगा:

परन्तु अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर, मंजूरी प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति क्षेत्र से 100 घन मीटर तक खनिज ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा. खनिज परिवहन के लिए प्ररूप नौ में यथा विहित अभिवहन पास का उपयोग किया जाएगा.

(दो) उस भूमि को छोड़ते हुए, जिस पर कि अनुज्ञप्तिधारी को उत्खनन पट्टा मंजूर किया गया है अथवा अनुज्ञप्ति का पर्यावसान हो जाने के पश्चात् स्वीकृत क्षेत्र को असुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा.

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे खनिज का पता लगने पर जो कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट न हो, पन्द्रह दिन के भीतर मंजूरी प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसे नये खनिज को अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा. यदि अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में मुख्य खनिज का पता लगता है तो वह स्वीकृत अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा.

(चार) अनुज्ञप्तिधारी, मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं करेगा.

(पांच) अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा.

(छह) अनुज्ञप्तिधारी, उसी क्षेत्र में अथवा मंजूरी प्राधिकारी द्वारा चुने गए किसी अन्य क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए वृक्षों से दुगुने वृक्ष लगाएगा और अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान उनका संधारण करेगा.

(सात) अनुज्ञप्तिधारी, निजी भूमि की दशा में, भूमि स्वामी को, भूमि पर प्रवेश की अनुमति के पूर्व, परस्पर सहमति के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा.

(आठ) अनुज्ञप्तिधारी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी उपाय करेगा और वन भूमि की दशा में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाए नये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा.

(नौ) इन नियमों द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक पर अधिरोपित किसी शर्त का भंग किये जाने पर, मंजूरी प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकेगा. परन्तु ऐसा कोई भी आदेश अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा.'';

11. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''17 **उत्खनन पट्टे का नवीकरण.**—उत्खनन पट्टे के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र उस तारीख से जिसको कि ऐसे पट्टे का अवसान होना हो, कम से कम एक वर्ष पूर्व दिया जाएगा. विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में, मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों से ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और 1000/- रुपये प्रतिमाह की शास्ति अधिरोपित करते हुए ऐसे आवेदन का निपटारा कर सकेगा:

परन्तु किसी भी दशा में नवीकरण के लिए आवेदन पट्टे का अवसान होने की तारीख के तीन मास पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा.'';

12. नियम 18 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(2) मंजूरी प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह ठीक समझे. मंजूरी प्राधिकारी, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उत्खनन पट्टा मंजूर किए जाने अथवा मंजूर किए जाने से इंकार किए जाने अथवा पूर्व में स्वीकृत उत्खनन पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले उत्खनन पट्टे का नवीकरण करने अथवा नवीकरण करने से इंकार करने का विनिश्चय कर सकेगा. आवेदक को सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी. आवेदक ऐसी सूचना के छह मास के भीतर अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा. परन्तु यदि सैद्धांतिक मंजूरी 5 हैक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक, ऐसी सूचना की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14-9-2006 के अधीन अभिप्राप्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा. समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात्, मंजूरी प्राधिकारी, उत्खनन पट्टा प्रदान किए जाने अथवा उसका नवीकरण किए जाने का आदेश जारी करेगा. यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समय अवधि में पूर्ण नहीं होती है तो मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों से समय अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु कोई भी नया उत्खनन पट्टा संबंधित ग्रामसभा का अभिमत लिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा छः मास की कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तो नियम 6 में यथा वर्णित वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निपटारा किया जायेगा.''

13. नियम 21 में,—

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द तथा अंक ''अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 को छोड़ते हुए'', के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''अनुक्रमांक 1 तथा 3 को छोड़ते हुए'' स्थापित किए जाएं.

(ख) उपनियम (2) (क) के खण्ड (एक) तथा (दो) में, शब्द ''प्ररूप—बाईस तथा प्ररूप—तेईस'' के स्थान पर, शब्द तथा अक्षर ''प्ररूप बाईस क तथा प्ररूप—तेईस क,'' क्रमश: स्थापित किए जाएं.

14. नियम 22 तथा उससे संबंधित सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''22 वह कालावधि जिसके लिए पट्टे प्रदान किए जाएंगे अथवा नवीकृत किए जाएंगे:—

(1) उत्खनन पट्टे की अधिकतम कालावधि दस वर्ष से अधिक और न्यूनतम कालावधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी. यदि अधिकतम तथा न्यूनतम कालावधि के बीच की किसी कालावधि के लिए आवेदन दिया जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी आवेदित कालावधि के लिए उत्खनन पट्टे की मंजूरी देगा.

(2) उत्खनन पट्टे के नवीकरण की कालावधि मूल कालावधि के बराबर होगी.

टिप्पणी.—अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1, 2, 3 में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टों की कालावधि ऐसी होगी जैसी कि ग्रेनाइट कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट रूल, 1999 और मार्बल डवलपमेंट एण्ड कन्सर्वेशन रूल, 2002 में विहित की गई हो.''

15. नियम 29 के उपनियम (5) के परन्तुक में, शब्द ''पुनरीक्षित नहीं की जाएगी'' के स्थान पर, शब्द ''बढ़ाई नहीं जाएगी'' स्थापित किए जाएं.

16. (1) नियम 30 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(2) यदि पट्टा क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता लगता है जो पट्टे में विनिर्दिष्ट न हो तो पट्टेदार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसे खनिज के पता लगने की सूचना मंजूरी प्राधिकारी को देगा और मंजूरी प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के पश्चात्, अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान करने के पश्चात्, पट्टा क्षेत्र से ऐसे खनिज को नियम 29 के उपनियम (7) के अधीन विहित अभिवहन पास पर ले जा सकेगा:

परन्तु यदि पट्टा क्षेत्र में किसी मुख्य खनिज का पता लगता है तो वह मंजूर किए गए पट्टे को समर्पित कर देगा.'';

(2) उप नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(5) पट्टेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार सीमांकन कर दिए जाने तथा आधिपत्य दे दिए जाने के पश्चात् खनन संक्रिया प्रारंभ करेगा. रेत तथा बजरी का खनन सतह से तीन मीटर या जल स्तर तक ही, जो भी कम हो, किया जाएगा. यह उत्खनन नदी/नाले के जल के भीतर नहीं किया जाएगा;

(3) उप नियम (15) में शब्द ''खनि अधिकारी'' के पश्चात् शब्द ''प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, प्रभारी अधिकारी, उड़नदस्ता'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(4) उप नियम (16) में, शब्द ''खनि अधिकारी'' के पश्चात् शब्द ''प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, प्रभारी अधिकारी, उड़नदस्ता'' अन्त: स्थापित किए जाएं और शब्द ''रुपये दस हजार तक'' के स्थान पर, शब्द ''बाजार मूल्य के दस गुने तक'' स्थापित किए जाएं.

17. नियम 36 में, उप नियम (1) में, शब्द तथा अंक ''अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 तथा 3'' स्थापित किए जाएं.

18. नियम 37 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1) सफल बोली लगने वाला ठेके के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा. यदि ठेके का अनुमोदन 5 हैक्टर तथा अधिक क्षेत्र के

लिये है तो सफल बोली लगाने वाला ऐसी सूचना से छह मास की कालावधि के भीतर, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा. इन औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सफल बोली लगाने वाला एक मास की कालावधि के भीतर प्ररूप सत्रह में, प्रतिभू बंधपत्र के साथ प्ररूप-अठारह में, ठेके का करार निष्पादित करेगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार या कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि औपचारिकताओं को पूरा करने या करार के निष्पादन में हुए विलंब के लिये सफल बोली लगाने वाला जिम्मेदार नहीं है तो यथास्थिति राज्य सरकार या कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई आधिकारी उपरोक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी करार के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा.'';

19. अध्याय सात में, शीर्षक में, शब्द ''उत्खनन संक्रियाएं'' के स्थान पर, शब्द ''खनन संक्रियाओं के लिये योजना'' स्थापित किए जाएं.

20. नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''42. खनन संक्रियाएं.—

(क) **खनन योजना के संबंध में पट्टा स्वीकृति की पूर्व अपेक्षाएं.**—(1) किसी भी गौण खनिज के उत्खनन पट्टे की स्वीकृति या उसका नवीकरण और व्यापारिक खदान की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि गौण खनिज के विकास के लिये संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा ऐसी खनन योजना को सम्यक् रूप से अनुमोदित न कर दिया गया हो.

(2) इस खनन योजना/खनन स्कीम को तैयार करने में निम्न ब्यौरे मुख्यत: विचार में लिए जाएंगे,—

(क) खनिज भण्डार की प्रकृति और विस्तार, पट्टाधारक क्षेत्र की योजना, स्थल या स्थलों को दर्शाते हुए जहां आवेदक या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए पूर्वेक्षण आंकड़े पर आधारित खनन संक्रियाओं को प्रस्तावित किया गया है;

(ख) उस क्षेत्र के ब्यौरे तथा विस्तार जहां प्रथम पांच वर्ष में खनन संक्रियाएं की जानी हैं;

(ग) द्वितीय पांच वर्ष हेतु यदि कोई हो, खनन की स्कीम;

(घ) भौमिकीय संबंधी ब्यौरे जिसमें क्षेत्र के खनिज का भण्डार शामिल हो;

(ङ) हाथ से किया गया खनन या मशीनरी और यांत्रिक युक्तियों के उपयोग द्वारा ऐसे खनन की सीमा;

(च) क्षेत्र की योजना, जिसमें प्राकृतिक जलमार्ग, आरक्षित तथा अन्य वन क्षेत्रों की सीमाएं, वृक्षों की सघनता, खनन क्रियाकलाप से वन, भूतल और पर्यावरण, जिसमें वायु तथा जल प्रदूषण भी शामिल है, पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण दर्शाते हुए वनरोपण, भूमि सुधार, प्रदूषण;

(छ) वर्षवार पांच वर्ष की अवधि के लिये खनन कार्यक्रम;

(ज) ऐसे अन्य मामले जिन्हें खनन योजना में शामिल किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए.

(ख) **मान्यताप्राप्त अर्हित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा खनन योजना/खनन स्कीम का तैयार किया जाना.**—(1) कोई खनन योजना/स्कीम तब तक अनुमोदित नहीं की जाएगी जब तक कि वह संचालक द्वारा मान्यताप्राप्त योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं की जाती. संचालक द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को मान्यता दी जाएगी, जिनकी अर्हता निम्नानुसार होगी,—

(एक) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या भू-विज्ञान/प्रयुक्त भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था सम्मिलित है या भारत के बाहर भी किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त कोई समकक्ष योग्यता; और

(दो) डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् खनन संक्रियाओं में पर्यवेक्षीय हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव;

(तीन) संचालक ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् मान्यता दे सकेगा या मान्यता देने से इंकार कर सकेगा एवं जहां मान्यता दिए जाने से इंकार किया जाता है वहां संचालक द्वारा कारण अभिलिखित करते हुये आवेदक को इसकी लिखित सूचना दी जाएगी.

(चार) मान्यता देने की प्रारंभिक अवधि पांच वर्ष होगी तथा नवीकरण के लिये आगामी अवधि एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि संचालक, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् अभिलिखित कारणों के आधार पर मान्यता के नवीकरण से इंकार कर सकेगा.

(2) पात्र व्यक्ति मान्यताप्राप्त करने हेतु संचालक के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा. संचालक का मान्यता प्रदान करने हेतु विनिश्चय अंतिम होगा.

(ग) **खनन योजना/खनन स्कीम का प्रस्तुत किया जाना और अनुमोदन.**—(1) उत्खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, विनिश्चित क्षेत्र स्वीकृति का विनिश्चय/व्यापारिक खदान के ठेके के अनुमोदन की संसूचना, मंजूरी प्राधिकारी, आवेदक/सफल बोलीदार को देगा, मंजूरी प्राधिकारी से स्वीकृत किये जाने वाले विनिश्चत क्षेत्र की संसूचना प्राप्त होने पर संसूचना प्राप्त होने के दिनांक से आवेदक सफल बोलीदार द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर अथवा ऐसी अन्य अवधि जैसी की मंजूरी प्राधिकारी अनुज्ञात करे, अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत करेगा. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(एक) (क) गौण खनिज निकाय की प्रकृति एवं विस्तार समझाते हुए विनिश्चत क्षेत्र की योजना;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों का विस्तार जिनमें प्रथम पांच वर्ष की कालावधि में उत्खनन किया जाना है;

(ग) आवेदक द्वारा पूर्वेक्षण कार्य के दौरान एकत्र किए गए डाटा के आधार पर उत्खनन किये जाने हेतु चिन्हित क्षेत्रों की विस्तृत योजना एवं क्रास सेक्शन के ब्यौरे;

(घ) पट्टे के द्वितीय पांच वर्ष की अवधि हेतु खनन संक्रिया की अनुमानित स्कीम;

(दो) गौण खनिज के भण्डार हेतु भौमिकीय एवं भौगोलिक ब्यौरे;

(तीन) हस्त खनन या मशीनरी और यांत्रिक युक्तियों के उपयोग द्वारा खनन की सीमा.

(चार) प्राकृतिक जलमार्ग, आरक्षित तथा अन्य वन क्षेत्रों की सीमाएं, वृक्षों की सघनता यदि कोई हो, खनन क्रियाकलाप से वन, भूतल और पर्यावरण जिसमें वायु तथा जल प्रदूषण भी शामिल है, पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण दर्शाते हुए विनिश्चित क्षेत्र की योजना, वनरोपण, भूमि सुधार प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों के उपाय और ऐसे अन्य उपायों, जैसा कि खान बन्द करने की योजना, उत्तरोत्तर एवं अंतिम खान बंद करने की योजना में उल्लेखित हो.

(पांच) वर्षवार पांच वर्ष के लिए खनन, विनिश्चत क्षेत्र पर खनन हेतु वार्षिक प्रोग्राम के ब्यौरे;

(छह) ऐसे अन्य कोई विषय जो कि राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आवेदक से खनन योजना हेतु व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाए.

(2) कंडिका (1) के अधीन प्रस्तुत खनन योजना/खनन स्कीम को ऐसे संशोधन सहित जो आवश्यक हो, संचालक अथवा क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा, नब्बे दिवस की अवधि में अनुमोदन किया जाएगा या इस कालावधि के भीतर लिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर वह अनुमोदन से इंकार कर सकेगा.

(घ) **खनन योजना का उपान्तरण.**—(1) यदि उत्खनन पट्टे/व्यापारिक खदान का धारक, अनुमोदित खनन योजना में उपान्तरण किए जाने का इन्छुक हो, जैसा कि सुरक्षित खनन और वैज्ञानिक खनन के हित में या खनिजों के संरक्षण या पर्यावरण की संरचना के लिये समीचीन समझा जाता हो, आशयित उपान्तरणों को बतलाते हुए और उपान्तरणों के कारणों को स्पष्ट करते हुए, मंजूरी प्राधिकारी को आवेदन करेगा.

(2) कंडिका (1) के अधीन मंजूरी प्राधिकारी से प्राप्त खनन योजना के उपान्तरण का प्रस्ताव, संचालक अथवा क्षेत्रीय प्रमुख अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे उपांतरणों के साथ जिन्हें वह समीचीन समझे, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अनुमोदन कर सकेगा.

(ङ) **विद्यमान पट्टेदार द्वारा खनन योजना का प्रस्तुत किया जाना.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पहले, जहां/खनन संक्रियाएं, अनुमोदित खनन योजना के बिना संचालित की जा रही है, उत्खनन पट्टे का ऐसा धारक, इन नियमों की प्रारंभ की तारीख से छह माह की कालावधि के भीतर यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को, खनन योजना उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा. इस कालावधि में छह माह तक वृद्धि किए जाने की शक्ति संचालक में निहित होगी.

(2) कंडिका (1) के अधीन पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत योजना को संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख, जैसी स्थिति हो, अनुमोदन कर सकेगा या योजना को उपान्तरण किए जाने के लिये अपेक्षित कर सकेगा और पट्टेदार ऐसे उपान्तरणों को करेगा तथा उपान्तरित योजना को अनुमोदन के लिये पुन: प्रस्तुत करेगा.

(3) संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख, जैसी स्थिति हो, खनन योजना या उपान्तरित खनन योजना की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की कालावधि में आवेदक को अपना अनुमोदन या अनुमोदन नहीं करने के बारे में सूचित करेगा और अनुमोदन नहीं किए जाने की स्थिति में वह उक्त खनन योजना या उपान्तरित खनन योजना को अनुमोदन नहीं करने के कारणों को भी सूचित करेगा.

(4) यदि कंडिका (3) के अधीन बनाई गई अवधि के भीतर कोई विनिश्चिय (निर्णय) सूचित नहीं किया जाता है तो यथास्थिति खनन योजना या उपान्तरित खनन योजना, अंतिम रूप से अनुमोदित की गई समझी जाएगी और ऐसा अनुमोदन, अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा, जब भी सूचित किया जाए.

(5) कंडिका (1) के अधीन प्रस्तुत की गई खनन योजना/खनन स्कीम, मान्यताप्राप्त व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी.

(च) **खनन योजना का पुनर्विलोकन.**—(1) इन नियमों के अधीन सम्यक्‌रूप से अनुमोदित प्रत्येक खनन योजना सम्पूर्ण पट्टा कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

(2) पट्टेदार, मद (1) के अधीन प्रस्तुत यथाविहित खनन योजना का पुनर्विलोकन करेगा और पट्टे की ठीक आगामी पांच वर्षों के लिये खनन स्कीम अनुमोदन के लिये यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा.

(3) खनन स्कीम, यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पहले जिसके लिये अंतिम अवसर पर अनुमोदित की गई थी कम-से-कम 120 दिनों के पहले प्रस्तुत की जाएगी.

(4) यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख इसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर खनन स्कीम के अपने अनुमोदन करने या इनकार करने को सूचित करेगा.

(5) यदि बताई गई अवधि में उत्खनन पट्टे/व्यापारिक खदान के धारक को खनन स्कीम के अनुमोदन या इनकार को (विनिश्चय को) सूचित नहीं किया जाता है तो खनन स्कीम को अंतिम रूप से अनुमोदित की गई समझी जावेगी और ऐसा अनुमोदन, अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा जब भी सूचित किया जाए.

(6) नियम 42 के खण्ड (बी) के उपबंध खनन स्कीम के मामलों में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे खनन योजना को लागू होंगे.

(7) कण्डिका (2) के अधीन प्रस्तुत खनन की प्रत्येक स्कीम, मान्यताप्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा नियम 42 के खण्ड (ख) के अधीन व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी.

(छ) **खनन संक्रियाओं का खनन योजना के अनुरूप होना.**—(1) उत्खनन पट्टे/व्यापारिक खदान का प्रत्येक धारक अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ऐसी शर्तों के साथ जैसा कि खण्ड (ग) की कंडिका (2) के अधीन विहित की गई हो, या ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन या खण्ड (च) के अधीन यथास्थिति खनन योजना या खनन स्कीम के अधीन अनुज्ञात किए गए हों, खनन संक्रियाओं को संचालित करेगा.

(2) यदि कंडिका (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट, खनन योजना/स्कीम के अनुसार खनन संक्रियाएं संचालित नहीं की जाती है, तो कलक्टर ऐसी जांच जैसी वह उचित समझे कराने के पश्चात् किन्हीं खनन संक्रियाओं को निलंबित करने का आदेश दे सकेगा और उक्त खनन योजना में यथा विचारित खान में शर्तों को बहाल करने के लिए जैसा आवश्यक हो, केवल ऐसी संक्रियाओं को जारी रखना अनुज्ञात कर सकेगा.

(ज) **पूर्वेक्षण एवं खनन संक्रियाएं.**—पूर्वेक्षण एवं खनन संक्रियाएं ऐसी रीति में चलाई जाएंगी जिससे कि खनिज भण्डारों के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके.

(झ) **कार्यकरण प्रणाली.**—गौण खनिजों की खदानों में खनन कार्य की प्रणाली बैंचों का निर्माण कर किया जाएगा.

(ञ) **खान बंद करने की योजना.**—(1) प्रत्येक उत्खनन पट्टे में खान बंद करने की योजना होगी, जो दो प्रकार की होगी, अर्थात्:—

(क) उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना; और
(ख) अंतिम रूप से खान बंद करने की योजना.

(2) **उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना का प्रस्तुत किया जाना.**—(क) पट्टेदार, उत्खनन पट्टे की नई मंजूरी या उसके नवीकरण की दशा में खनन योजना के संघटक के रूप में उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना को यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा.

(ख) पट्टेदार, विद्यमान उत्खनन पट्टे की दशा में, उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना को खण्ड (ङ) की कंडिका (1) में विहित कालावधि के भीतर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

(ग) पट्टेदार उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना का पुनर्विलोकन विद्यमान खान की दशा में उसके अनुमोदन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष या नई मंजूरी की दशा में खनन के प्रारंभ की तारीख से या उत्खनन पट्टे के नवीकरण की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष पर करेगा और यथास्थिति, संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को उसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा.

(घ) यथास्थिति, संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना के लिए अपना अनुमोदन या इंकार उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सूचित करेगा.

(ङ) यदि उत्तरोत्तर (प्रोग्रेसिव) खान बंद करने की योजना का अनुमोदन या इंकार कंडिका (4) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पट्टेदार को सूचित नहीं किया जाता है तो उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और ऐसा अनुमोदन अंतिम विनिश्चय के अधीन रहते हुए जब कभी संसूचित किया जाए, रहेगा.

(3) **अंतिम खान बंद करने की योजना को प्रस्तुत किया जाना.**—(क) पट्टेदार, उत्खनन पट्टे की नई मंजूरी या उसके नवीकरण की दशा में खनन योजना के संघटक के रूप में अंतिम खान बंद करने की योजना को यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा.

(ख) पट्टेदार, विद्यमान उत्खनन पट्टे की दशा में खण्ड (ङ) की मद (1) के अधीन यथाविहित कालावधि के भीतर प्राधिकारी को खान बंद करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करेगा.

(ग) यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख, खान बंद करने की अंतिम योजना के अनुमोदन या उससे इंकार करने के अपने निर्णय से, उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर संसूचित करेगा.

(घ) उस दशा में, जहां कि खान बंद करने की अंतिम योजना का अनुमोदन अथवा उससे इंकार मद (ग) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पट्टेदार को संसूचित नहीं किया गया हो तो खान बंद करने की अंतिम योजना के अनंतिम रूप से अनुमोदित कर दी गई समझी जाएगी और ऐसा अनुमोदन, अंतिम विनिश्चय, वह जब भी संसूचित किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए होगा.

(4) **खान बंद करने की योजना का उपांतरण.**—(क) अनुमोदित खान बंद करने की योजना में उपांतरण चाहने वाला उत्खनन पट्टे का धारक, उसके द्वारा चाहे गए उपांतरणों का उल्लेख करते हुए और ऐसे उपांतरणों के लिए कारण बताते हुए योजना को यथास्थिति संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा.

(ख) यथास्थिति, संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत किए गए उपान्तरणों को अनुमोदित कर सकेगा या ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदित कर सकेगा जिन्हें कि वह समीचीन समझे.

(5) **उत्खनन पट्टे के धारक का उत्तरदायित्व.**—(क) पट्टेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खान बंद करने की योजना/खान बंद करने की उपांतरित योजना में सुरक्षा के उपाय अंतर्विष्ट हैं.

(ख) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के पूर्व, खान बंद करने की अनुमोदित योजना में परिकल्पित किए गए सुरक्षात्मक और पुनर्वास संबंधी किए गए कार्यों की सीमा का उल्लेख करते हुए और उसमें यदि कोई भिन्नता हो तो उसके कारण दर्शाते हुए, खान बंद करने की अंतिम योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

(6) **वित्तीय प्रत्याभूति.**—(क) प्रत्येक पट्टाधारक को वित्तीय प्रत्याभूति देनी होगी. वित्तीय प्रत्याभूति की रकम उत्खनन पट्टे के क्षेत्र के प्रति हेक्टर 15 हजार रुपये होगी.

(ख) वित्तीय प्रत्याभूति संबंधित कलेक्टर को निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रस्तुत की जाएगी,—

(एक) किसी अधिसूचित बैंक से बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपोजिट;

(दो) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट;

(ग) पट्टेदार, उत्खनन पट्टे का विलेख निष्पादित करने के पूर्व संबंधित कलक्टर को वित्तीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा. किसी विद्यमान उत्खनन पट्टे की दशा में, पट्टेदार खान बंद करने की उत्तरोत्तर योजना के साथ वित्तीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा.

(घ) पट्टेदार द्वारा खान बंद करने की योजना में अंतर्विष्ट उपबंधों के समाधानपूर्ण पालन किए जाने और संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने पर वित्तीय प्रत्याभूति विमुक्त की जाएगी.

(ङ) यदि संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख को यह विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण हों कि संरक्षा, पुनरुद्धार और पुनर्वास के खान बंद करने की अनुमोदित योजना में परिकल्पित वे उपाय जिनके कि संबंध में वित्तीय प्रत्याभूति दी गई है, खान बंद करने की योजना के अनुसार या तो पूर्णत: या तो अंशत: क्रियान्वित नहीं किए गए हैं या क्रियान्वित नहीं किए जाएंगे, तो संबंधित कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को प्रत्याभूत रकम को समपहृत करने के आदेश जारी करने के अपने आशय की लिखित सूचना, जारी किए जाने वाले आदेश की तारीख के कम से कम तीस दिन पूर्व देगा.

(च) यदि उपरोक्त मद (ङ) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर पट्टेदार की ओर से कोई समाधानप्रद लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित कलक्टर वित्तीय प्रत्याभूति की रकम को समपहृत करने के लिए आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति संचालक को पृष्ठांकित की जाएगी.

(छ) संबंधित कलक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिए जाने पर कलक्टर, संरक्षा, पुनरुद्धार और पुनर्वास के उपायों के लिए उपलब्ध कराई गई अथवा अभिप्राप्त की गई रकम वसूल कर सकेगा और वे उपाय कर सकेगा.

(7) **उत्खनन कार्य को अस्थायी रूप से बंद करने की सूचना.**—पट्टेदार अथवा इस निमित्त उसका प्राधिकृत व्यक्ति, संबंधित कलक्टर को खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की लिखित सूचना साठ दिन के भीतर देगा.

(8) **उत्खनन को पुनः प्रारंभ करने की सूचना.**—पट्टेदार अथवा इस निमित्त उसका प्राधिकृत व्यक्ति, खनन संक्रियाओं के अस्थाई रूप से बंद रहने के पश्चात् उन्हें पुनः प्रारंभ करने की सूचना संबंधित कलक्टर को सात दिन के भीतर देगा परन्तु खनन संक्रियाओं को बंद करने के छह मास पश्चात् ऐसी सूचना स्वीकार्य नहीं होगी.";

21. अध्याय-आठ में, नियम 44 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(च) गौण खनिज का कोई भी उत्खनन भूमिगत जलस्तर से नीचे नहीं किया जाएगा.

(छ) नदी तल के खनन की दशा में, खनन की गहराई तीन मीटर/जलस्तर, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी.";

22. नियम 48 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"48 **पर्यावरण प्रबंध योजना**—किसी मान्यताप्राप्त व्यक्ति द्वारा पर्यावरण योजना तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे :—

(1) उत्खनन पट्टा/व्यापारिक खदान के धारक का नाम और पता.

(2) क्षेत्र के ब्यौरे,—

(एक) सैद्धान्तिक मंजूरी की तारीख

(दो) कालावधि

(तीन) मंजूर किए गए क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा

(चार) खसरा नंबर/क्षेत्र

(पांच) मंजूर किए गए क्षेत्र के ग्राम/तहसील/जिले का नाम

(3) खनन संक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली मशीन के ब्यौरे

(4) मंजूर किए जाने वाले क्षेत्र में पूर्व से उत्खनित गड्ढे के माप का विवरण तथा इस क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित खनि रियायतों के ब्यौरे.

(5) वृक्षारोपण की स्कीम

(6) मंजूर किए जाने वाले क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जैव विविधता क्षेत्र, अंतर्राज्यीय सीमाओं की अनुमानित दूरी के ब्यौरे.

(7) खनिज का प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन

(8) खनन संक्रिया के कारण भू-जल स्तर पर इसका प्रभाव और उसके निवारक उपाय

(9) खनन संक्रिया से क्षतिग्रस्त भूमि के निरन्तर पुनरुद्धार और पुनर्वास की स्कीम के ब्यौरे

(10) वायु और जल प्रदूषण को रोकने और उसके नियंत्रण के ब्यौरे

(11) खनन संक्रिया के दौरान सतह से निकली हुई भूमि को पृथक् से ढेर लगाने की व्यवस्था करना तथा उसकी उपयोगिता.

(12) प्रस्तावित परियोजना के कारण खनन प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के ब्यौरे

(13) पर्यावरण प्रबंधन के लिए बजट में की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे

(14) कोई अन्य ब्यौरे जिन्हें खनि रियायत धारी प्रस्तुत करना चाहता हो."

23. नियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"49. **जिला स्तरीय पर्यावरण समिति.**— (1) जिला स्तरीय पर्यावरण समिति निम्नानुसार होगी :—

(क) कलक्टर — अध्यक्ष

(ख)	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का क्षेत्रीय अधिकारी या मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी	—	सदस्य
(ग)	वनमण्डलाधिकारी	—	सदस्य
(घ)	प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा	—	सदस्य-सचिव
(ङ)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी (यदि कोई हो).	—	सदस्य.

(2) समिति, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उत्खनन पट्टे, व्यापारिक खदान की पर्यावरण प्रबंध योजना को अनुमोदित कर सकेगी या अनुमोदित किए जाने से इंकार कर सकेगी.

(3) समिति, उत्खनन अनुज्ञा के लिए आवेदन पर नियम 50 में विहित पर्यावरण के संरक्षण की शर्तों में से कोई शर्त अधिरोपित करते हुए अनुमति दे सकेगी. सरकारी निर्माण कार्य के लिये उत्खनन अनुज्ञा के प्रकरणों का पन्द्रह दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा.

24. नियम 50 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"50 **पर्यावरण संरक्षण के उपाय.**—(1) प्रत्येक उत्खनन पट्टा/व्यापारिक खदान/उत्खनन अनुज्ञाधारी निम्नानुसार कार्य करेगा :—

(एक) खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वायु और जल की सहमति प्राप्त करेगा और सहमति में विहित शर्तों का पालन करेगा;

(दो) खनन क्षेत्र के पास से होकर गुजरने वाले पुराने प्राकृतिक जल निकाय या जल संसाधनों को बाधित नहीं करेगा और उनके संरक्षण के लिये आवश्यक उपाय करेगा;

(तीन) खनन संक्रिया को भूमिगत जल स्तर तक ही सीमित रखेगा;

(चार) पर्यावरण प्रबंध योजना/खनन योजना/स्कीम में चिन्हित किए गए अनुसार ऊपरी सतह की मिट्टी को अस्थायी रूप से संग्रहीत करने के उपाय करेगा;

(पांच) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विहित किए गए मानकों के अनुसार क्रशर लोडिंग अनलोडिंग तथा स्थानांतरण के अन्य स्थानों में जल के छिड़काव के प्रभावी इंतजाम करेगा.

(छह) ब्लास्टिंग, भूकम्पन को नियंत्रित करने तथा चट्टानों तथा बोल्डरों को उड़ने से रोकने के लिये आवश्यक इंतजाम करेगा. विस्फोट, महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा विस्फोट प्रमाण-पत्र धारी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा;

(सात) खनन संक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्रों की संरचनाएं प्रभावित न हो;

(आठ) सुरक्षा मानकों को सुनिश्ति करने की दृष्टि से खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(नौ) उत्खनन पट्टा/व्यापारिक खदान धारी द्वारा खनन संक्रिया अनुमोदित खनन योजना/खनन स्कीम/पर्यावरण प्रबंध योजना के अनुसार की जाएगी.

(2) नियम 50 के उपनियम (1) में विहित शर्तों का उल्लंघन होने पर, तीस दिन के भीतर उनका पालन करने के लिये कारण दर्शाने के लिए सूचना जारी की जाएगी, शर्तों का पालन न होने की दशा में, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उत्खनन पट्टा/व्यापारिक खदान/उत्खनन अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी.

25. नियम 53 में, उपनियम (5) में शब्द "खनि अधिकारी" के पश्चात् शब्द "प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा, प्रभारी अधिकारी उड़नदस्ता" अन्तःस्थापित किए जाएं.

26. नियम 68 में,—

(1) शीर्षक में, शब्द "केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों के लिए गौण खनिज हटाने हेतु अनुज्ञा" के स्थान पर शब्द "गौण खनिज हटाने हेतु अनुज्ञा" स्थापित किए जाएं.

(2) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"परन्तु आवेदक को अनुज्ञा की सैद्धान्तिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी. आवेदक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक मास के भीतर जिलास्तरीय पर्यावरण समिति से अनुमति लेकर प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह और कि यदि सैद्धान्तिक मंजूरी पांच हेक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत प्राप्त पर्यावरण अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा. मंजूरी प्राधिकारी, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा की मंजूरी का आदेश जारी करेगा. मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों के आधार पर यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समयावधि में पूरी न की जा सकी हों तो समयावधि बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु यह भी कि उत्खनन अनुज्ञाधारी/ठेकेदार जो निर्माण कार्य में लगे हो, निर्माण कार्य में उपयोग में लाए गए खनिज उत्खनन अनुज्ञा क्षेत्र से निकाले गये खनिज अथवा खुले बाजार से क्रय किए जाकर उपयोग में लाए गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए नो माइनिंग ड्यूज अभिप्राप्त करेंगे. नो माइनिंग ड्यूज प्रमाण-पत्र, खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन शाखा द्वारा निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदार/उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा".

(3) उपनियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) ऊपर खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में, मुरम की अनुज्ञा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक द्वारा या संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जाएगी और ऐसी अनुज्ञा जारी की जाने की पूर्व उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाना होगी और जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जाएगी तथा संबंधित मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक अथवा संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री, कलक्टर कार्यालय से अभिवहन पास अग्रिम में प्राप्त करेंगे और ठेकेदारों को अभिवहन पास जारी करेगा तथा संबंधित कलक्टर को प्रत्येक तीन मास से उत्खनित गौण खनिज की मात्रा से अवगत कराएगा. उत्खनित की गई गौण खनिज की मात्रा के आधार पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा रायल्टी की रकम प्रत्येक वर्ष 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को नियम 10 के उपनियम (2) में विहित "आगम प्राप्ति शीर्ष" में, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा जमा की जाएगी.".

(4) उपनियम (5) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु आवेदक को अनुज्ञा की सैद्धान्तिक मंजूरी की सूचना दी जाएगी. आवेदक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम एक मास के भीतर जिलास्तरीय पर्यावरण समिति से अनुमति लेकर प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि सैद्धांतिक मंजूरी पांच हेक्टर या अधिक क्षेत्र के लिए है तो आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत प्राप्त पर्यावरण अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा. मंजूरी प्राधिकारी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा की मंजूरी का आदेश जारी करेगा. मंजूरी प्राधिकारी, समाधानप्रद कारणों के आधार पर यदि समस्त औपचारिकताएं विहित समयावधि में पूरी न की जा सकीं हों तो समयावधि बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा.".

(5) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (6) जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"6 नियम 3 के खण्ड (तीन) के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, यदि निजी अथवा सरकारी भूमि पर निजी/सरकारी संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा तालाब, बांध, नहर, स्टापडेम, जल निकाय भवन, सड़कें आदि निर्मित किए जाने से तथा भूमि के समतलीकरण से उत्खनित गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम रायल्टी देय होगी. निर्माण एजेन्सी ऐसे उत्खनन से प्राप्त खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु संबंधित जिले के खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से उत्खनन अनुज्ञा प्राप्त करेगा. संबंधित जिले का खनि अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा आवश्यक जांच करने के पश्चात् उत्खनन अनुज्ञा जारी करेगा.";

27. प्ररूप पन्द्रह के खण्ड 10 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"10 सफल बोली लगाने वाला, ठेके के अनुमोदन की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंध योजना प्रस्तुत करेगा. परन्तु यदि ठेके का अनुमोदन पांच हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र के लिए हो तो सफल बोली लगाने वाला ऐसी सूचना की तारीख से छह मास के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अधीन प्राप्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा. इन औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के पश्चात्, सफल बोली लगाने वाला एक मास की कालावधि के भीतर प्ररूप सत्रह में प्रतिभूति बंधपत्र के साथ, प्ररूप अठारह में ठेके का करार निष्पादित करेगा अन्यथा संबंधित कलक्टर द्वारा उसके द्वारा जमा किया गया अग्रिम ठेका धन तथा प्रतिभूति जमा राशि समपहृत कर ली जायेगी और खदान की पुन: नीलामी की जाएगी :

परन्तु जहां राज्य सरकार अथवा कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि औपचारिकताओं को पूरा करने में अथवा करार के निष्पादन में हुए विलम्ब के लिए सफल बोली लगाने वाला जिम्मेदार नहीं है तो यथास्थिति राज्य सरकार अथवा कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रसासनिक सेवा वेतनमान) अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए कोई अधिकारी उपरोक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी करार के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा.";

28. प्ररूप सोलह में, खण्ड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"6 सफल बोली लगाने वाला, ठेके के अनुमोदन की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना/अनुमोदित पर्यावरण प्रबंध योजना प्रस्तुत करेगा. परन्तु यदि ठेके का अनुमोदन पांच हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र के लिए हो तो सफल बोली लगाने वाला ऐसी सूचना की तारीख से छह मास के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अधीन प्राप्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करेगा. इन औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के पश्चात् सफल बोली लगाने वाला, एक मास की कालावधि के भीतर, प्ररूप सत्रह में प्रतिभूति बंधपत्र के साथ प्ररूप अठारह में ठेके का करार निष्पादित करेगा अन्यथा संबंधित कलक्टर द्वारा उसके द्वारा जमा किया गया अग्रिम ठेका धन तथा प्रतिभूति जमा राशि समपहृत कर ली जाएगी और खदान की पून: नीलामी की जाएगी :

परन्तु जहां राज्य सरकार अथवा कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि औपचारिकताओं को पूरा करने में अथवा करार के निष्पादन में हुए विलम्ब के लिए सफल बोली लगाने वाला जिम्मेदार नहीं है तो यथास्थिति राज्य सरकार अथवा कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए कोई अधिकारी उपरोक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी करार के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा.";

29. प्ररूप अठारह में, खण्ड 18 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"18 ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रिया करेगा और रेत तथा बजरी का खनन सतह से तीन मीटर तक अथवा जलस्तर तक जो भी कम हो, किया जाएगा. ऐसा उत्खनन नदी/नाले के पानी के भीतर नहीं किया जाएगा.

30. शब्द "अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 2005 द्वारा यथा-संशोधित प्ररूप बाईस पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन" के स्थान पर शब्द "प्ररूप बाईस-(क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन" स्थापित किए जाएं.

31. शीर्षक प्ररूप तेईस के अधीन शब्द "प्ररूप तेईस पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टे या नवीकरण के लिए आवेदनों की रसीद" के स्थान पर शब्द "प्ररूप तेईस-(क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या नवीकरण के आवेदनों की रसीद" स्थापित किए जाएं.

No. F 19-1-2013-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (No 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, namely:—

AMENDMENTS

1. In the said rules, in rule 2,—

(1) in clause (xii) after the words "Joint Director", the words "Superintending Geologist" shall be inserted.

(2) after clause (xxix), the following clause shall be inserted, namely :—

(xxx) "Environment" and "Environmental Pollution", shall have the same meanings, assigned respectively to these terms in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(xxxi) "District Level Environment Committee" means committee constituted under these rules;

(xxxii) "Environment Management Plan" means plan submitted by Quarry lease /Trade quarry holder which is prepared by recognised person and approved by District Level Environment Committee under these rules;

(xxxiii) "Final Mine Closure Plan" means a plan for the purpose of decommissioning, reclamation and rehabilitation in the mine or part thereof after cessation of mining and mineral processing operations that has been prepared under these rules;

(xxxiv) "Financial Assurance" means the sureties furnished by the leaseholder to the competent authority so as to indemnify the authorities against the reclamation and rehabilitation cost;

(xxxv) "Mine Closure" means steps taken for reclamation, rehabilitation measures taken in respect of a mine or part thereof commencing from cessation of mining or processing operations in a mine or part thereof;

(xxxvi) "Mining Plan" means a mining plan prepared under these rule;

(xxxvii) "Mining Scheme" means a mining scheme prepared under these rules;

(xxxviii) "Progressive Mine Closure Plan" means a progressive plan, for the purpose of providing protective, reclamation and rehabilitation measures in a mine or part thereof that has been prepared under these rules;

(xxxix) "Prospecting" means an area where prospecting operations for minerals are being carried out and includes any area held under prospecting license;

(xxxx) "Recognised Person" means a person granted recognition by the competent authority to prepare mining plan, mining scheme, prospecting report and environment management plan;

(xxxxi) "Geological Survey" means geological study carried out for ascertaining the availability of the mineral deposit;

(xxxxii) "Regional Head" means the officer of Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh posted at regional offices of the department as head of office;

(xxxxiii) "Officer Incharge Flying Squad" mean the officer of Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh who is incharge for prevention of illegal mining and transportation of mineral;

(xxxxiv) "Naib Tahsildar and Tahsildar" means the revenue officer specified as Tahsildar or Naib Tahsildar according to section 11 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959);

2. In rule 3,—

(a) for the proviso to clause (i), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no quarrying shall be done within a distance of 100 meters from a bridge, national/state highway, railway line, public building, cremation ground, river bank, dam, canal, reservoir, natural water course or any water impounding structure, 50 meters from other pakki sadak, nalla and 10 meters from grameen kachcha rasta."

(b) for the proviso to clause (ii), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no quarrying shall be done within a distance of 100 meters from a bridge, national/state highway, railway line, public building, cremation ground, river bank, dam, canal, reservoir, natural water course or any water impounding structure, 50 meters from other pakki sadak, nalla and 10 meters from grameen kachcha rasta."

(c) for proviso to clause (iii) the following provisos shall be respectively substituted, namely:—

"Provided that no quarrying shall be done within a distance of 100 meters from a bridge, national/state highway, railway line, public building, cremation ground, river bank, dam, canal, reservoir, natural water course or any water impounding structure, 50 meters from other pakki sadak, nalla and 10 meters from grameen kachcha rasta:

Provided further that provisions of this rule shall not be applicable on uses and transportation of ordinary clay, by farmer for agriculture and community development work by Gram Panchayat/Government Agencies, extracted from reservoir, canal, stop dam or other water impounding structure or other construction:

Provided also that provisions of this rule shall not be applicable for extraction of ordinary clay for construction works, excluding commercial purposes, by the central/state government departments and its undertakings from construction site.";

3. After rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

"3(A) Any person/institution eligible for exemption under clause (i) and (ii) of rule 3 shall be duly certified by Naib Tahsildar or Tahsildar of concerned area. Situation of quarry area, quantity of mineral and period of excavation shall be written in this certification. After certification, the Officer in-charge, mining section, shall issue the transit passes without the payment of royalty. The mineral shall be transported with valid transit passes. The concerned officer shall keep the detail information separately in his office.";

4. In rule 4,—

(1) in the marginal heading, after the words "trade quarry" the words "or quarry permit" shall be inserted;

(2) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(3) No quarry lease and trade quarry or quarry permit shall be sanctioned or renewed in contravention of notification dated 14.09.2006 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India and as amended from time to time;

(3) minimum and maximum area for the grant of a quarry lease shall be as under:—

The Sanctioning Authority, if it is satisfied on the basis of proposed production level, Geological or topographical conditions may for the reasons to be recorded in writing, grant quarry lease

minimum one hectare and upto fifty hectare. In case area is less than one hectare for mining, situated separately in 200 meters periphery, then by making a group of these areas the quarry lease may be sanctioned upto that extent so that minimum one hectare area be available for mining, on the basis of reasons to be recorded in writing, but, in the case of renewal of quarry lease, the restrictions of minimum area for grant of quarry lease, shall not be applicable :

Provided that for the mineral specified in serial number 1 to 3 of Schedule-I provisions of Granite Conservation and Development Rules, 1999 and Marble Development and Conservation Rule, 2002 shall be applicable.";

5. In rule 5, in sub-rule (2), for clause (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(c) within a distance of 300 meters from sensitive areas like, Radio station, Doordarshan Kendra, Airport, Defence Establishment, 100 meters from any Bridge, National/State highway, Railway line, Public building, cremation ground, 50 meters from other Pakki Sadak or 10 meters from Grameen Kachcha Rasta;

(d) except for the mineral sand or bajri, within a distance of 100 meters from river banks, reservoir, canal, dam, any natural water course or any water impounding structure and 50 meters from nalla;";

6. In the heading of CHAPTER III for the words "POWERS TO GRANT QUARRY LEASE OR TRADE QUARRY" the words "POWERS TO GRANT PROSPECTING LICENSE, QUARRY LEASE OR TRADE QUARRY" shall be substituted;

7. In CHAPTER III, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. **Powers to grant quarry lease.**—quarry lease in respect of minerals specified in Schedule-I and II shall be granted and renewed by the authority mentioned in column (2) for the minerals specified in column (3) subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (4) thereof of the Table below:-

TABLE

Sr. No. (1)	Authority (2)	Minerals (3)	Extent of powers (4)
1.	Director	(i) Minerals specified in serial number 1 to 7 of Schedule I.	(i) Where the area applied for exceeds 10.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4 of Schedule II.	(ii) Where the area applied for exceeds 10.00 hectares.
2.	Collector/Additional Collector (Senior IAS Scale)	(i) Minerals specified in serial number 1 to 3 of Schedule I.	(i) Where the area applied for does not exceeds 10.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4 to 7 of Schedule I.	(ii) Where the area applied for exceeds 2.00 hectares but does not exceed 10.00 hectares.
		(iii) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/kilns.	(iii) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.

(1)	(2)	(3)	(4)
		(iv) Minerals specified in serial number 4 of Schedule II.	(iv) Where the area applied for exceeds 2.00 hectares but does not exceeds 10.00 hectares.
		(v) Minerals specified in serial number 5 to 12 of Schedule II.	(v) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
3.	Officer Incharge, Mining Section	(i) Minerals specified in serial number 4 to 7 of Schedule I.	(i) Where the area applied for does not exceed 2.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II, ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/kilns.	(ii) Where the area applied for does not exceed 4.00 hectares.
		(iii) Minerals specified in serial number 4 of Schedule II.	(iii) Where the area applied for does not exceed 2.00 hectares.
		(iv) Minerals specified in serial number 5 to 12 of Schedule II.	(iv) Where the area applied for does not exceed 4.00 hectares.

Note.—Power to sanction prospecting license of mineral specified in serial number 1 to 3 of Schedule I shall be with those authorized officer who has the power to sanction quarry lease of these minerals";

8. In rule 7,—

(1) in sub-rule (1), for the words and figures "serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II" the words and figures "serial numbers 1 and 3 of Schedule II" shall be substituted;

(2) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The quarry of minerals specified in serial number 5 of schedule I and mineral specified in serial number 1 and 3 of Schedule II shall be auctioned for five years:

Provided that if contractor establishes cutting and polishing industry or crusher for making gitti by mechanical means, within a period of 01 year, for mineral specified in serial number 5 of Schedule I and serial number 3 of Schedule II respectively, then period of contract shall be extended upto 10 years instead of 5 years and in such condition annual contract money shall be increased by ten percent every year, excluding first year. For extended period contractor shall submit approved mining plan/approved environment management plan or environment permission as the condition may be. The contractor shall maintain separate account of gitti and mineral while establishing crusher.

(3) for proviso to sub-rule (4) the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where the bid in continuously two auction is less than the upset price fixed by the Collector, then Collector/Additional Collector after making inquiry of the area, shall revise the upset price. The revised upset price shall not be less than the maximum dead rent specified for that mineral in Schedule-IV:

Provided further that if any declared trade quarry is not auctioned in any period then quarry permit from that quarry for government work may be granted under sub-rule (1) of rule 68.";

9. In rule 8, for the words and figures "serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II" the words and figures "serial numbers 1 and 3 of Schedule II" shall be substituted.

10. In CHATPER-III after rule 8 of the following CHAPTER shall be inserted, namely:-

"CHAPTER-III A

Grant of Prospecting License

(a) **Application for Prospecting License.**—An application for prospecting license for mineral specified in serial no. 01, 02 and 03 of Schedule-I shall be made in Form-XXII-A. The application shall be affixed with a court fee stamp of the value of five rupees and shall contain documents as prescribed in Form of application.

(b) **Application Fees.**—Application fee in respect of every application for grant of prospecting license shall be paid Rs. 5000/-(Rupees Five thousand) and it shall be deposited in the head as prescribed in sub-rule (3) of rule 10.

(c) **Officer authorised to receive applications.**—Application of prospecting license shall be received by such officer as prescribed in rule 11.

(d) **Acknowledgement of application of prospecting license.**—The procedure for acknowledging application of prospecting license shall be in accordance with rule 14 and acknowledgement shall be issued in Form-XXIII-A.

(e) **Register of application of prospecting licensed.**—A register of application of prospecting license in Form-XXV and for prospecting license in Form-XXVI respectively shall be maintained separately.

(f) **Period for prospecting license.**—Period for prospecting license of mineral specified in serial number 1 to 3 of Schedule-I shall be, as prescribed in Granite Conservation and Development Rule, 1999 and Marble Development and Conservation Rule, 2002.

(g) **Disposal of application for the grant of prospecting license.**—On receipt of an application for the grant of prospecting license, its detail shall be first circulated for display on the notice board of the Jila Panchayat, Janpat Panchayat, Gram Panchayat and concerned district office (Collectorate). The sectioning authority, after making such inquiries as he may deem fit and considering the parameters specified in sub-rule (3) of rule 21 may sanction prospecting license. The procedure of cancellation of application of prospecting license shall be in accordance of provisions of rule 19.

(h) **Execution of deed of prospecting license.**—Deed of prospecting license shall be executed in Form-XXVII with in the period of one month from the date of sanction order. If no such deed is executed with in the aforesaid period, the order sanctioning the prospecting license shall be deemed to have been revoked:

Provided that where the sanctioning authority is satisfied that the applicant is not responsible for the delay in the execution of the deed, the sanctioning authority may permit the execution of the agreement even after the expiry of the aforesaid period of one month.

(i) **Provisions for other minor minerals.**—Excluding the mineral specified in serial no. 1, 2 and 3 of Schedule-I applications of quarry lease of other minor minerals shall be disposed of by ascertaining mineral availability, quantum and its quality through Geological survey carried out by Director or Regional Head or Officer authorised by him.

(j) **Conditions of the prospecting license.**—Every prospecting license granted under these rules shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) The licensee, may carry for purposes other than commercial purposes, sanctioned minor mineral for any type of analysis and commercial survey up to 10 cubic meters quantity on payment of royalty from licensed area:

Provided that on the basis of reasons to be recorded, the sanctioning authority may permit to carry away 100 cubic meters mineral from the licensed area. The transportation of mineral transit pass as prescribed in FORM-IX, shall be used.

(ii) The area, excluding the land on which quarry lease is granted to licensee, or after the determination of the license the sanctioned area shall not be left unsecured.

(iii) The licensee, shall report to the sanctioning authority, discovery of any mineral not specified in the license, within a period of fifteen days and shall submit application for inclusion of such new mineral in license. If major mineral is discovered in the area of license, than he shall surrender the sanctioned license.

(iv) Licensee, shall not transfer license without prior permission of sanctioning authority.

(v) The licensee, shall not pay a wage less than the minimum wage prescribed by the Central or the State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948.

(vi) The licensee, shall plant trees in the same area or any other area selected by the sanctioning authority not less than double the numbers of trees destroyed due to prospecting operations and shall maintain it during the period of license.

(vii) The licensee, shall pay the compensation to the land owner, in case of private land, on the basis of mutual understanding, prior to the permission, of enter upon the land.

(viii) The licensee, shall take all the measures for conservation of environment and in case of forest land shall ensure compliance of Forest (Conservation) Act, 1980 and rules made thereunder.

(ix) In case of breach of any conditions imposed on any holder of prospecting license by these rules, the sanctioning authority may by order in writing, cancel the license. Provided that no such order shall be made without giving the licensee a reasonable opportunity of hearing.";

11. For rule 17, the following rule shall be substituted, namely:—

"17. **Renewal of quarry lease.**—Every application for the renewal of a quarry lease shall be made at least one year before the date on which the lease is due to expire. In case of delay on submission of application, sanctioning authority on the basis of satisfactory reasons may condone such delay and dispose of such application, imposing penalty of Rs. 1000/- per month:

Provided that, on any condition, submission of renewal application, three months prior to due date of expiry of lease, shall be mandatory.";

12. In rule 18, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The sanctioning authority shall make such inquiries as he may deem fit. The sanctioning authority, may take decision to grant of quarry lease or refuse to sanction it or renew the quarry lease or refuse to renew it before the expiry of quarry lease already sanctioned, after receiving the enquiry report. Information of in-principle sanction, shall be given to applicant. Applicant shall furnish approved mining plan/approved environment management plan, within six months from such information. Provided that if in-principle sanction is for five hectare or more area, then applicant from the date of such information, shall submit environment permission obtained under notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment and Forest with in period of six month. After completion of all formalities sanctioning authority shall issue grant order or it's renewal of quarry lease. On the basis of satisfactory reasons, the sanctioning authority may permit to enhance the time period, if all formalities are not completed in prescribed time period:

Provided that no new quarry lease shall be sanctioned without obtaining opinion of the respective Gram Sabha:

Provided further that if the application, is not disposed of by sanctioning authority within the period of six month then application shall be disposed of by senior authority as mentioned in rule 6."

13. In rule 21,

(a) in the opening para for the words and figures "excluding serial number 1, 3 and 4" the words and figures "excluding serial number 1 and 3" shall be substituted.

(b) in clause (i) and (ii) of sub-rule (2) (a) for the words and letter "FORM-XXII and FORM XXIII" the words and letter "FORM-XXII A and FORM XXIII A" shall be substituted respectively.

14. For rule 22 and Table relating thereto the following shall be substituted, namely:—

"22 Period for which leases may be granted or renewed:—

(1) The period of quarry lease shall not be more than ten years and minimum period shall not be less than five years. If any period applied in between maximum and minimum period then sanctioning authority shall sanction quarry lease for the applied period.

(2) The period of renewal of quarry lease shall be equal to the original period.

Note.—Period of quarry lease of minerals specified in serial number 1, 2 and 3 of Schedule I, shall be as prescribed in Granite Conservation and Development Rule, 1999 and Marble Development and Conservation Rule, 2002."

15. In proviso to sub-rule (5) of rule 29, for the words "shall not be revised" the words "shall not be increased" shall be substituted.

16. In rule 30, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2). If any mineral not specified in the leased is discovered in the lease area, the lessee shall report discovery within period of ninety days to the sanctioning authority and after getting sanction from the sanctioning authority may carry away the mineral from the leased area along with transit pass prescribed under sub-rule (7) of rule 29 after payment of advance royalty:

Provided that if any major mineral is discovered in leased area, then he shall surrender sanctioned lease.";

(2) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) The lessee shall commence mining operation after demarcation and possession in accordance with the approved mining plan. Mining of Sand and Bajri shall be carried out upto three meter from the surface or water level which ever is less. This excavation shall not be carried out within water of River/Nalla;

(3) in sub-rule (15), after the words "Mining Officer" the words "Officer In-charge, Mining Section, Officer In-charge, Flying Squad" shall be inserted;

(4) in sub-rule (16), after the words "Mining Officer" the words "Officer In-charge Mining Section, Officer In-charge Flying Squad" shall be inserted and at the place of words "upto Rupees Ten Thousand" the words "upto Ten Times of Market Value" shall be substituted.

17. In rule 36, in sub-rule (1), for the words and figures "serial number 1, 3 and 4 of Schedule II" the words and figures "serial number 1 and 3 of Schedule II" shall be substituted.

18. In rule 37, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Successful bidder within a period of six months from the date of receipt of intimation of approval of contract, shall submit approved mining plan/approved environment management plan. If the approval of contract is for five hectare or more area, then successful bidder within a period of six months of such intimation, shall submit environment permission as per the notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment and Forest. After completion of these formalities successful bidder, shall execute contract agreement in Form XVIII together with surety bond in Form XVII within a period of one month:

Provided that where the State Government or the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. scale) or any Officer authorized by the State Government in this behalf is satisfied that the successful bidder is not responsible for the delay in completion of formalities or execution of the agreement, the State Government or the Collector/ Additional Collector (Senior I.A.S. scale) or any Officer authorized by the State Government, as the case may be, may permit the execution of the agreement after expiry of the aforesaid period.";

19. In CHAPTER-VII, in the heading, for the words "QUARRYING OPERATIONS" the words "PLAN FOR MINING OPERATION" shall be substituted.

20. for rule 42 the following rule shall be substituted, namely:—

"42. **Mining Operations.—**

(A) **Mining plan as a pre-requisite to the grant of lease.—**(1) No lease of minor minerals shall be granted or renewed and trade quarry shall be sanctioned unless their is a mining plan duly approved by the Director or Regional Head for the development of minor mineral.

(2) The following details shall be taken into consideration for preparation of Mining Plan/Mining Scheme—

(a) the plan of the lease hold area showing the nature and extent of the mineral reserve, spot or spots where the mining operations are proposed, based on the prospecting data gathered by the applicant or any other person;

(b) details and extent of the area where the mining operations to be carried out in first five year;

(c) mining scheme, if any of second five year ;

(d) geological details, including mineral deposit of the area;

(e) the extent of manual mining or such mining by the use of machinery and mechanical devices;

(f) the plan of the area showing natural water courses, limits of reserves and other forest areas and density of trees, if any, assessment of impact of mining activity on forest, land surface and environment including air and water pollution; details of scheme of restoration of the area by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and other measures as mentioned in mine closure plan, progressive and final mine closure plan;

(g) year-wise mining programme of five years duration;

(h) any other matter which is directed to include in mining plan.

(B) **Mining Plan/Mining Scheme to be prepared by recognized qualified persons.—**(1) No mining plan/mining scheme shall be approved unless it is prepared by a qualified person recognized by the Director. The Director may recognize the person who is having qualification mentioned bel

(i) A degree in mining engineering or a post graduate degree in Geology/Applied Geology granted by a University established or incorporated by or under a central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognized by the University grant commission established under Section 4 of the University Grant Commission Act, 1956 or any equivalent

qualification granted by any University or Institutions outside India, recognized by Government of India; and

(ii) Professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining degree.

(iii) The Director after making such enquiry as it deems fit, may grant or refuse to grant recognition and where recognition is refused the Director shall record the reasons in writing and communicate the same to the applicant.

(iv) a recognition shall be granted for an initial period of five years and may be renewed for further periods not exceeding five years at a time :

Provided that the Director may refuse to renew recognition for reasons to be recorded in writing after giving an opportunity of hearing to the person concerned.

(2) For getting recognition, eligible person shall submit application alongwith documentary evidence to Director. The decision of Director to grant recognition shall be final.

(C) **Approval and Submission of Mining Plan/Mining Scheme.**—(1) On receipt of the application for grant of quarry lease decision to grant precise area/approval of contract of trade quarry the sanctioning authority shall communicate decision to the applicant/successful bidder. On receipt of the communication from the sanctioning authority of the precise area to be granted, the applicant/successful bidder shall submit a mining plan for the approval within a period of three months from the date on which such communication is received or such other period as may be allowed by the sanctioning authority and the said mining plan shall incorporate—

(i) (a) the plan of the precise area showing the nature and extent of the minor minerals body ;

(b) spot or spots where the excavation to be done in the first five year plan period and its extent;

(c) a detailed cross-section and detailed plan of spots of excavation based on prospecting data gathered by the applicant ;

(d) a tentative scheme of mining for the second five year plan period of the lease;

(ii) details of the geology and geography of reserves of the minor mineral;

(iii) the extent of manual mining or mining by the use of machinery and mechanical devices;

(iv) the plan of the precise area showing natural water courses, limits of reserved and other forest areas and density of trees; if any, assessment of impact of mining activity on forest land surface and environment including air and water pollution; details of scheme for restoration of the area by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and of such other measures under Mine Closure Plan ñ Progressive and Final Mine Closure Plan as per rule;

(v) annual programme and plan for excavation on the precise area from year to year for five years;

(vi) any other matter which the State Government or any person so authorized may require the applicant to provide in the mining plan.

(2) Mining Plan/Mining Scheme submitted under para (1) shall be approved by Director or Regional Head within ninety days, with any modification if required or they may refuse to approve on the basis of reason in writing, within this period.

(D) **Modification of Mining Plan.**—(1) The holder of a quarry lease/trade quarry desirous of seeking modifications in the approved mining plan as are considered expedient, in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, or for the protection of environment, shall apply to the sanctioning authority setting forth the intended modifications and explaining the reasons for such modifications.

(2) Director or Regional Head may approve the proposal of modifications received from sanctioning authority under para (1) or approve with such alterations as he may consider expedient within a period of ninety days.

(E) **Mining Plan to be submitted by the existing lessee.**—(1) Where mining operations have been undertaken before the commencement of these rules without an approved mining plan, the holder of such quarry lease shall submit a mining plan within a period of six month from the date of commencement of these rules, to the Director or Regional Head, as the case may be, for approval. Power to enhance this period upto six months shall be vested with Director.

(2) The Director or Regional Head, as the case may be, approve the plan as submitted by the lessee under para (1) or may require modifications to be carried out in the plan and the lessee shall carry out such modifications and resubmit the modified plan for approval.

(3) The Director or Regional Head, as the case may be, shall, within a period of ninety days from the date of receipt of the mining plan or the modified mining plan, convey approval or disapproval to the applicant and in case of disapproval shall also convey the reasons for disapproving the said mining plan or the modified mining plan.

(4) If no decision is conveyed within the period stipulated under para (3), the mining plan or the modified mining plan, as the case may be, shall be deemed to have been provisionally approved and such approval shall be subject to the final decision, whenever communicated.

(5) The mining plan/mining scheme submitted under para (1) shall be prepared by a recognised person.

(F) **Review of mining plan.**—(1) Every mining plan duly approved under these rules shall be valid for the entire duration of the lease.

(2) The lessee of every mine or quarry shall review the mining plan as prescribed under para (1) and submit a scheme of mining for the next fiveyears of the lease to the Director or Regional Head for approval.

(3) The scheme of mining shall be submitted to the Director or Regional Head, atleast 120 days before the expiry of the five years period for which it was approved on the last occasion.

(4) The Director or Regional Head, as the case may be, shall convey his approval or refusal to the scheme of mining within thirty days of the date of its receipt.

(5) If approval or refusal of the scheme of mining is not conveyed to the holder of the quarry lease/trade quarry within the stipulated period, the scheme of mining shall be deemed to have been provisionally approved and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.

(6) The provisions of clause (B) of rule 42 shall apply to the scheme of mining in the same way as they are applicable to the mining plan.

(7) Every scheme of mining submitted under para (2) shall be prepared by a recognized qualified person or a person under clause (B) of rule 42.

(G) **Mining operations to be in accordance with mining plans.**—(1) Every holder of a quarry lease/trade quarry shall carry out mining operations in accordance with the approved mining plan with such conditions as may have been prescribed under para (2) of clause (C) or with such modifications, if any, as permitted under clause (D) or the mining plan or scheme approved under clause (F), as the case may be.

(2) If the mining operations are not carried out in accordance with the mining plan as referred to under para (1), the Collector after making such enquiry as he may deem fit, may by order suspend any of the mining operations and permit continuance of only such operations as may be necessary to restore the conditions in the mine as envisaged under the said mining plan.

(H) **Prospecting and Mining operations.**—The prospecting and mining operations shall be carried out in such a manner so as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and protection of environment.

(I) **System of working.**—System of working in minor minerals quarries shall be performed by formation of benches.

(J) **Mine Closure Plan.**—(1) Every quarry lease shall have Mine Closure Plan, which shall be of two types:—

(a) a progressive mine closure plan; and

(b) a final mine closure plan.

(2) **Submission of Progressive Mine Closure Plan.**— (a) Lessee shall, in case of fresh grant or renewal of quarry lease, submit a progressive mine closure plan as a component of mining plan to the Director or Regional Head as the case may be.

(b) In case of existing quarry lease the lessee shall submit a progressive mine closure plan, within the period and to the authority, as prescribed under para (1) of clause (E).

(c) The lessee shall review the progressive mine closure plan every five years from the date of its approval in case of existing mine or from the date of opening of the mine in case of fresh grant or from the date of renewal of quarry lease, as the case may be, and shall submit the plan to the Director or Regional Head, as the case may be, for its approval.

(d) The Director or Regional Head, as the case may be, shall convey his approval or refusal of the progressive mine closure plan within a period of thirty days, from the date of its receipt.

(e) In case the approval or refusal of the progressive mine closure plan is not conveyed to the lessee within the period as specified under item (d), the progressive mine closure plan shall be deemed to have been provisionally approved, and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.

(3) **Submission of final mine closure plan.**—(a) Lessee shall, in case of fresh grant or renewal of quarry lease, submit a final mine closure plan as a component of mining plan to the Director or Regional Head, as the case may be.

(b) The lessee shall, in case of existing quarry lease submit a final mine closure plan within a period and to the authority as prescribed under item (1) of clause (E).

(c) The Director or Regional Head, as the case may be, shall convey his approval or refusal of the final mine closure plan within a period of ninety days, from the date of its receipt.

(d) In case the approval or refusal of the final mine closure plan is not conveyed to the lessee

within the period as specified under item (c), the final mine closure plan shall be deemed to have been provisionally approved, and such approval shall be subject to final decision whenever communicated.

(4) **The modification of mine closure plan**—(a) The holder of a quarry lease desirous of seeking modifications in the approved mine closure plan, shall submit to the Director or Regional Head, as the case may be, for approval setting forth the intended modifications and explaining the reasons for such modifications.

(b) Director or Regional Head, as the case may be, may approve the modifications as submitted under clause (a) or approve with such alterations as he may consider expedient.

(5) **Responsibility of the holder of quarry lease**—(a) The lessee shall have the responsibility to ensure that the protection measures are contained in the mine closure plan/modified mine closure plan.

(b) The lessee shall submit to the sanctioning authority a yearly report of mine closure plan, before the month of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan and if there is any deviation, with the reasons thereof.

(6) **Financial assurance.**—(a) Financial assurance, has to be furnished by every leaseholder. The amount of financial assurance shall be rupees 15 thousand per hectare of the quarry lease area.

(b) The financial assurance shall be submitted in one of the following forms to the concerned Collector,

(i) Bank Guarantee from any Scheduled Bank, Fixed Deposit;

(ii) National Saving Certificate;

(c) The lessee shall submit the financial assurance to the concerned Collector, before executing the quarry lease deeds. In case of an existing quarry lease, the lessee shall submit the financial assurance along with the progressive mine closure plan.

(d) Release of financial assurance shall be effective upon the notice given by the lessee for the satisfactory compliance of the provisions contained in the mine closure plan and certified by the Director or Regional Head.

(e) If the Director or Regional Head, has reasonable grounds for believing that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the approved mine closure plan in respect of which financial assurance was given has not been or shall not be carried out in accordance with the mine closure plan, either fully or partially, the officer authorized by the concerned Collector, shall give the lessee a written notice of his intention to issue the orders for forfeiting the sum assured at least thirty days prior to the date of the order to be issued.

(f) Within thirty days of the receipt of notice referred to in item (e) above, if no satisfactory reply has been received in writing from the lessee, the concerned Collector, shall pass an order for forfeiting the amount of financial assurance and a copy of such order shall be endorsed to the Director.

(g) Upon the issuance of order by the concerned Collector, the Collector may realize amount of financial assurance provided or obtained as financial assurance for the purpose of performance of protective, reclamation, rehabilitation measures and shall carry out those measures.

(7) **Notice of temporary discontinuance of work in quarries.**—The lessee or his authorized person in this behalf shall give intimation in writing to the concerned Collector within sixty days, when the mining operation is temporarily discontinued.

(8) **Intimation of reopening of a quarry.**—The lessee or his authorized person in this behalf shall give intimation of reopening, after temporary discontinuance of mining operation, to the concerned Collector within seven days. Provided that, such intimation shall not be acceptable after six months of closure of mining operation.";

21. In CHAPTER-VIII, in rule 44, in sub-rule (1), after clause (e) the following clauses shall be substituted, namely :—

"(f) no excavation of minor mineral shall be undertaken below the ground water lavel.

(g) in case of river bed mining the depth of mine shall be restricted upto three meter/water level whichever is less.";

22. For rule 48, the following rule shall be substituted, namely:—

"48 **Environment Management Plan.**—Environment Management Plan shall be prepared by the recognized person including following points:—

(1) Name and address of the Holder of the quarry lease/action quarry.

(2) Details of the area;

(i) Date of in-principle sanction

(ii) Period

(iii) Map showing boundary of sanctioned area

(iv) Khasra number/Area

(v) Name of the Village/Tahsil/District of sanctioned area

(3) Details of Machine to be used in mining operation

(4) Details of measurement of quarry pit earlier excavation in the area to be sanctioned and details of mineral concessions situated within 100 meter periphery of this area

(5) Scheme of Tree plantation

(6) Details and approximate distance of National park, Sanctuary, Biodiversity area, Interstate boundary situated within periphery of 10 Km. from the area to be sanctioned

(7) Proposed annual production of mineral

(8) Effect on ground water level due to mining operation and its preventive measures

(9) Details of scheme of continuous reclamation and rehabilitation of the land degradation due to mining operation

(10) Details of preventive and control scheme of air and water pollution

(11) Provisions for separate stacking of surface soil excavated from mining operation and its utility

(12) Details of social and economic up gradation of mining effected area due to proposed project

(13) Details of budgetary arrangement for environment management

(14) Any other details desired to be submitted by mineral concession holder."

23. For rule 49 the following rule shall be substituted, namely:—

"49. **District level Environment Committee.**—(1) District level Environment Committee shall be as follows:—

(a) Collector-Chairman

(b) Regional Officer of Madhya Pradesh Pollution Control Board or Officer nominated by Chairman of Board-Member

(c) Divisional Forest Officer-Member

(d) Officer In-charge Mining Section-Member Secretary

(e) Any Officer nominated by State Government (If required)-Member

(2) Committee shall approve or refuse to approve on the basis of reasons is to be recorded in writing the environment management plan of quarry lease, trade quarry.

(3) Committee may give permission on application of quarry permit by imposing any conditions for the protection of environment prescribed in rule - 50. Cases of quarry permit for Government construction work shall be disposed off within fifteen days.

24. For rule 50 the following rule shall be substituted, namely:—

"50. **Measures for protection of environment.**—(1) every quarry lease/trade quarry/quarry permit holder shall take action as follows:-

(i) Prior to commencement of mining operation air and water consent shall be obtained from Madhya Pradesh Pollution Control Board and shall abide prescribed conditions of consent,

(ii) Shall not obstruct old natural water body or water resources passing through mining area and shall take necessary step for its protection,

(iii) Mining operation shall be limited above the ground water level,

(iv) Shall take measure for temporary storage of top soil as earmarked in environment management plan/mining plan/scheme,

(v) Shall make effective arrangement of water sprinkling in crusher, loading and unloading point and other transfer places to prevent air pollution, as per the norms prescribed by the State Pollution Control Board,

(vi) Make necessary arrangement for controlled blasting, ground vibrations and to arrest fly rocks and boulders. Blasting shall be done by a person holding of blaster certificate from Director General of Mines Safety,

(vii) Take all safety measures due to blasting, during the mining operation to ensure that structures in nearby areas shall not be affected,

(viii) Necessary training shall be given to the persons working in the mine to ensure safety norms,

(ix) Mining operation shall be operated in accordance to approved mining plan/mining scheme/ environment management plan by quarry lease/trade quarry holder,

(2) Show cause notice shall be issued for compliance within thirty days of, violation of conditions prescribed in sub-rule (1) of rule 50, in condition of non compliance of conditions the quarry lease/trade quarry/quarry permit may be determined by the sanctioning authority.

25. In rule 53, in sub-rule (5) after the words "Mining Officer" the word "Officer in-charge, mining section, Officer in-charge, flying squad" shall be inserted.

26. In rule 68,—

(1) In the heading for the words "permission for removal of minor minerals for central and State Governments and their undertakings" the words "permission for removal of minor minerals" shall be substituted.

(2) After sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that information of in-principle sanction of permit shall be given to the applicant. Applicant shall furnish permission from the District level environment committee, within one month maximum, from the date of receipt of such information :

Provided further that if in-principle sanction is for five hectare or more area, then applicant from the date of receipt such information, shall submit environment permission obtained under notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment and Forest with in period of six months. After completion of all formalities sanctioning authority shall issue sanction order of quarry permit. Sanctioning authority may permit to enhance the time period, if all formalities are not completed in prescribed time period, on the basis of satisfactory reasons:

Provided also that quarry permit holder/contractor engaged in construction work shall obtain certificate of no mining dues to ensure payment of royalty for the mineral used in construction work, for the mineral excavated from quarry permit area or used by purchasing from open market. Certificate of no mining dues shall be issued by Mining officer/officer in-charge mining section, after verification of documents submitted by contractor/quarry permit holder engaged in construction work."

(3) For clause (ii) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, in case of roads under construction or to be constructed under the Prime Minister Rural Road Scheme or other Government department, the permits of murrum shall be given by the General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority or Executive Engineer of concerned Government department to the authorized contractor and prior to issuing of such permit, no objection from Mining, Revenue and Forest Department shall be obtained by them and copy of the permit issued shall be endorsed to these departments, and the concerned General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority or Executive Engineer of concerned Government department shall obtain Transit Pass Book in advance from office of the Collector and he shall issue the transit pass to contractors and quantity of the minor mineral excavated in every three months to the concerned Collector and shall ensure payment of royalty on the basis of quantity of minor mineral excavated, and the amount of royalty shall be deposited by the General Manager,

Madhya Pradesh Rural Road Development Authority or Executive Engineer of concerned Government department every year on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March in the receipt head prescribed in sub-rule (3) of rule 10."

(4) For the proviso to sub-rule (5), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that information of in-principle sanction of permit shall be given to the applicant. Applicant shall furnish permission from the District level environment committee, within one month minimum, from the date of receipt of such information. Provided that if in-principle sanction is for five hectare or more area, then applicant from the date of such information, shall submit environment permission obtained under notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment and Forest with in period of six months. After completion of all formalities sanctioning authority shall issue sanction order of quarry permit. Sanctioning authority may permit to enhance the time period, if all formalities are not completed in prescribed time period, on the basis of satisfactory reasons."

(5) After sub-rule (5), the following sub-rule (6) shall be added, namely:-

"(6) Subject to proviso of clause (iii) of rule 3, minor mineral excavated from the Government or private land by the private/Government institution or person on construction of pond, dam, canal, stop dam, water body, building, roads etc. and due to leveling of land, are used for commercial purpose, advance royalty shall be payable as per rule. The construction agency shall obtain quarry permit from the Mining Officer/Officer In-charge of Mining Section, of concerned district, for use and transportation of mineral obtained from such excavation. Mining Officer/Officer In-Charge of Mining Section of concerned district shall issue quarry permit after making necessary inquiry.";

27. For clause 10 of the FORM XV, the following clause shall be substituted, namely:—

"10 Successful bidder within the period of six months from the date of receipt of approval of contract, shall furnish approved mining plan/approved environment management plan. Provided that if approval of contract is for five hectare or more area, then successful bidder from the date of such information, shall submit environment permission obtained under notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment and Forest with in period of six months. After completion of these formalities, the successful bidder, within a period of one month, shall execute contract agreement in Form XVIII along with surety bond in Form XVII. Otherwise advance contract money and security deposit money deposited by him shall be forfeited by the concerned Collector and quarry shall be re-auctioned:

Provided that where the State Government or the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. scale) or any Officer authorized by the State Government in this behalf is satisfied that the successful bidder is not responsible for the delay in completion of formalities or execution of the agreement, the State Government or the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. scale) or any Officer authorized by the State Government as the case may be, may permit the execution of the agreement after expiry of the aforesaid period.";

28. In FORM XVI, for clause (6), the following clause shall be substituted, namely:—

"(6) Successful bidder within the period of six months from the date of receipt of approval of contract, shall furnish approved mining plan/approved environment management plan. Provided that approval of contract is for five hectare or more area, then successful bidder from the date of such information, shall submit environment permission obtained under notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment and Forest with in period of six months. After completion of these formalities, successful bidder, within a period of one month, shall execute contract agreement in Form XVIII along with surety bond in Form XVII. Otherwise advance contract money and security

deposit money deposited by him shall be forfeited by the concerned Collector and quarry shall be re-auctioned:

Provided that where the State Government or the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. scale) or any Officer authorized by the State Government in this behalf is satisfied that the successful bidder is not responsible for the delay in completion of formalities or execution of the agreement, the State Government or the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. scale) or any Officer authorized by the State Government as the case may be, may permit the execution of the agreement after expiry of the aforesaid period."

29. In FORM XVIII, for clause 18, the following clause shall be substituted, namely:—

"18 The contractor shall operate mining operation in accordance with the approved mining plan and the mining of Sand and Bajri shall be carried out upto three meter from the surface or water level whichever is less. This excavation shall not be carried out within water of River/Nalla.

30. For the words "FORM XXII as amended by notification dated 1-9-2005 Application for prospecting licence" for the words "FORM XXII-(A) Application for prospecting licence" shall be substituted.

31. Under the heading, for the words "FORM XXIII-RECEIPT OF APPLICATION FOR PROSPECTING LICENCE/QUARRY LEASE OR RENEWALS" the words "FORM XXIII-(A)-RECEIPT OF APPLICATION FOR PROSPECTING LICENCE OR RENEWALS" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजातशत्रु श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.